SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

झारखंड में लघु उद्योगो का स्थिरता विकास और आदिवासी महिलाओं की भूमिका का भौगोलिक विश्लेषण

ज्योति कुमारी, शोधार्थी, **रंजीत कुमार,** पीएच–डी., शोध निर्देशक, भूगोल विभाग
आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
ज्योति कुमारी, शोधार्थी
रंजीत कुमार, पीएच–डी.
E-mail : jyotikumari48802@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/03/2025
Revised on : 21/05/2025
Accepted on : 30/05/2025
Overall Similarity : 05% on 22/05/2025

शोध सार

एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से स्थिरता विकास पूर्व अनुसंधान और अनुभवजन्य साक्ष्य का उपयोग करके रणनीतिक निर्णय लेने पर पहुंचा, जो महत्वपूर्ण सामान्य आयाम को मापता है, जो प्रक्रिया की व्यापकता, तर्कसंगतता, औपचारिकता, विन्यास और राजनीतिकरण को संदर्भित करता है। दूसरे यह अन्य कारकों से संबंधित है जैसे निर्णय विशिष्ट और विशेषता (जैसे प्रबंधन स्तर के निर्णय), बाहरी वातावरण (सरकारी नीतियां, प्राकृतिक संसाधन, अन्य कारक) निवेश प्रकृति, समग्र रूप से फर्म पर और उसके दीर्घकालिक प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव . झारखंड खनिज संसाधनों, जंगलों, वुडलैंड्स से समृद्ध है जो राज्य के 29 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कब्जा करता है जो भारत में सबसे ज्यादा है। विकास व परिदृश्य में लघु उद्योग की भूमिका यह एक शब्द में एक 'विकास इंजन' है जो सामाजिक और आर्थिक विकास को परिभाषित करता है, यहां तक कि राष्ट्र सहित राज्य को भी नहीं। लघु उद्योग क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा कार्यबल है, यह कम लागत वाले निवेश के साथ एक रोजगार निर्माता है जिसका देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। लघु उद्योग सामाजिक समावेशन पर स्तंभ के रूप में काम करते हैं क्योंकि श्रम–गहन उत्पादन के अधिक उपयोग, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, समान आय वितरण और सरल मूल्य वर्धित प्रसंस्करण गतिविधि के माध्यम से आजीविका के अवसर की सुविधा के लिए पारंपरिक व्यवसाय से लेकर उद्यमशीलता कौशल विकास की प्रवृत्ति को शामिल किया गया है। झारखंड में लगभग 2 लाख एसएसआई राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। चूंकि राज्य आदिवासी बहुल है, इसलिए अधिकांश आदिवासी लोग और विशेष रूप से आदिवासी महिलाएं इन उद्योगों में काम कर रही

हैं। वे अपनी आजीविका के लिए अधिकतर इसी प्रकार के उद्योगों पर निर्भर हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से झारखंड में इन आदिवासी महिलाओं पर एसएसआई के प्रभाव का और स्थिरता विकास का विश्लेषण करने की कोशिश की है।

मुख्य शब्द

सामाजिक समावेशन, नवाचार, आर्थिक विकास, आजीविका, आदिवासी, महिला.

परिचय

झारखंड राज्य, भारत का अट्ठाईसवां राज्य, दक्षिणी बिहार से अलग होकर 15 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया। यह उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और यूपी से घिरा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 79714 वर्ग किमी है जो भारत की भौगोलिक भूमि का 2.5 प्रतिशत है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को 24 जिलों में विभाजित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, झारखंड की जनसंख्या 3.29 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का 2.7 प्रतिशत है। राज्य का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके अलावा, जिलों के बीच जनसंख्या का वितरण असमान है, 7 जिलों में जनसंख्या घनत्व 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया है। राज्य की अधिकांश आबादी (लगभग 76 प्रतिशत) अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हालाँकि, रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो जिलों में औद्योगिक समूहों के उद्भव के साथ शहरी आबादी में लगातार वृद्धि हुई है।

तालिका 1: झारखंड की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

जनसांख्यिकी	झारखंड	भारत
जनसंख्या (2011)	3,29,66,238	121,01,93,422
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–11)	22.34%	17.64%
प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व (2011)	414	382
लिंगानुपात (2011)	947	940
शहरी जनसंख्या का प्रतिशत (2011)	24%	31.2%
अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत (2001)	11.8%	16.2%
एसटी जनसंख्या का प्रतिशत (2001)	26.3%	8.2%
अप्रवासन की शुद्ध दर	1.8%	–

(स्रोतः जनगणना 2001, 2011, एनएसएसओ 64वां दौर, रिपोर्ट संख्या 533)

राज्य की 26.3 प्रतिशत आबादी में आदिवासी समुदाय शामिल हैं (अखिल भारतीय औसत 8.2: की तुलना में), झारखंड मुख्य रूप से एक 'आदिवासी राज्य' है। अनुसूचित जनजातियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण हैं और 91.7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी गाँवों में रहती है। एसटी आबादी के उच्चतम प्रतिशत वाले शीर्ष पांच जिलों को नीचे दी गई तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2: एसटी आबादी के उच्चतम प्रतिशत वाले शीर्ष पांच जिले

ज़िला	एसटी जनसंख्या (2011)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत
सिमडेगा	3,60,825	70%
गुमला	5,59,772	67%
पश्चिमी सिंहभूम	8,06,472	65%
लोहरदगा	2,03,053	56%
लातेहार	2,53,365	45%

(स्रोतः जनगणना 2011)

साहित्य की समीक्षा

एमए अब्दुल्ला और होएटोरो, (2011) विकसित और विकासशील देशों में, लघु उद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और महत्वपूर्ण प्रगति की है। सामान्य तौर पर, प्रत्येक एमएसएमईएस विकास नीति के उद्देश्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्वयं एक उद्योग के निर्माण के लिए; उद्योग का समर्थन करना; औद्योगिक क्षेत्र में सुधार; और रोजगार।

आर. लाहिड़ी (2012) लघु उद्योग को परिभाषित किया गया, साथ ही उनके सामने आने वाले अवसरों और समस्याओं को भी बताया गया। वैश्वीकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनेक लाभों के कारण, लघु उद्योग को अपने विकास में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। छोटे उद्यमों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें उत्पाद मानक और गंभीर गुणवत्ता नियंत्रण, एंटी–डंपिंग कानून और सब्सिडी में कटौती शामिल है।

ए. देवेश्वर (2014) के एक अध्ययन में वैश्वीकरण और भारतीय लघु उद्योग की विशेषताओं की जांच की गई, जिन्होंने लघु उद्योग के विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव को देखा। शोधकर्ता द्वारा वैश्वीकरण से पहले और बाद के कई विकास मानदंडों की जांच के अनुसार, वैश्वीकरण ने इकाइयों, रोजगार सृजन, उत्पादन और निर्यात के मामले में लघु उद्योग की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्वीकरण भारत की छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों (एसएमई) के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

डेलिगियानी एट अल. (2015) रणनीतिक निर्णय लेने को तर्कसंगतता और सीमित तर्कसंगतता में भी पाता है। हालाँकि तर्क में कहा गया कि रणनीतिक निर्णय के लिए तर्कसंगतता सबसे प्रमुख कारक है। तर्क यह है कि रणनीतिक निर्णय लेते समय जानकारी को पूरा करने के लिए संसाधन, समय और प्रयास का निवेश करना अपशिष्ट पैदा नहीं करता, बल्कि एक उपयोगी गतिविधि है इसलिए, तर्कसंगत प्रक्रिया अपनाकर कंपनी फर्म के प्रदर्शन पर नियंत्रण भी बढ़ा सकती है।

सरिता सत्पथी, शैलजारानी, नागज्योति, एमएल (2017) ने अपने अध्ययन "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का एक अध्ययन; भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की रीढ़" और भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादों की कुल संख्या, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), रोजगार, निश्चित निवेश के संबंध में लघु उद्योग के योगदान पर प्रकाश डाला और अन्य क्षेत्र की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर पर ध्यान केंद्रित किया। शोधकर्ता ने पाया और निष्कर्ष निकाला कि इस क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' जैसे कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पर्याप्त क्षमता और संभावनाएं हैं और उन्होंने सरकार को बेहतरी के लिए और अधिक उपाय करने का सुझाव दिया।

एस. गाडे (2018) लघु उद्योग क्षेत्र ने भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां और विकास की आवश्यकता है। लेखक के शोध के अनुसार, लघु उद्योग का अर्थव्यवस्था और इसकी भविष्य की संभावनाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। लघु उद्योग भारत के विशाल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का एक कुशल तरीका साबित हुआ है और साथ ही आम जनता को विकास के लिए अधिक न्यायसंगत संभावनाएं भी दे रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. राज्य में नई एवं मौजूदा लघु उद्योग इकाइयों का विकास।
2. कौशल और रोजगार के अवसरों को कुशलतापूर्वक एकीकृत करना।
3. लघु उद्योग के पारंपरिक व्यवसाय जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और कपड़ा का कायाकल्प करना।
4. लघु उद्योग का स्थिरता विकास और आदिवासी महिलाओं के भूमिका का अध्ययन।

अनुसंधान पद्धति

यह शोध महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में एसएसआई के प्रभाव की जांच करने के लिए एक वर्णनात्मक शोध डिजाइन को अपनाता है। उल्लेखनीय रूप से, इस अध्ययन के लिए डेटा विशेष रूप से प्राथमिक और

माध्यमिक संदर्भों से प्राप्त किया गया है, जिसमें किताबें, विद्वानों की पत्रिकाएँ, सरकारी प्रकाशन, एसएसआई, उद्यम पोर्टल, समाचार पत्र लेख और अन्य आधिकारिक स्रोत शामिल हैं, जो एक व्यापक और अच्छी तरह से सूचित विश्लेषण सुनिश्चित करते हैं। अनुभवजन्य अवलोकन और विभिन्न जर्नल और ई–जर्नल में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर महत्व और विकास का अध्ययन करने के लिए डेटा संग्रह के तरीकों का उपयोग किया गया, साथ ही माध्यमिक डेटा स्रोतों और प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा के आधार पर जानकारी एकत्र की गई।

भारत में लघु उद्योग का आर्थिक विकास

प्राचीन समय में भारतीय छोटे पैमाने के व्यवसाय की भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश काल से लेकर आजादी के बाद के दशकों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लघु उद्योग का क्षेत्र विकसित हुआ है। इन अवधियों को 'पूर्व–ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता–पूर्व और स्वतंत्रता–पश्चात' में विभाजित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश–पूर्व काल प्रारंभ में कृषि प्रधान था। जनसंख्या का एक विशाल भौगोलिक भाग कृषि पर निर्भर करता है। उनकी बाज़ार तक पहुंच सीमित थी, केवल वे स्थानीय बाज़ार की आवश्यकता को पूरा करते थे। हालाँकि, इस उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात किया जाता है, मुख्य रूप से कपड़ा, उपयोगिता उन्मुख, लकड़ी का काम, आभूषण, कलात्मक कार्य शामिल हैं।

ईस्ट इंडिया कंपनी (ब्रिटिश शासन, ईआईसी) का विकास हुआ और राजनीतिक प्रमुखता और शक्ति के माध्यम से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। ब्रिटिश शासन ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया उसी दौरान यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति ने काफी ऊंचाई हासिल कर ली, इसलिए इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन के लिए नई विनिर्माण प्रक्रियाएं लागू की गई। इस अवधि के दौरान निर्यात के लिए तैयार माल की तुलना में कच्चा माल अधिक प्रभावी हो गया। ब्रिटिश राजशाही और भारतीय औद्योगीकरण भी देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन इकाइयाँ लेकर आए। स्थानीय उद्योग बाजार की स्थितियों के शिकार बन गए, उन्होंने भारतीय उद्योगों के भविष्य के विकास या विकासवादी संभावनाओं को नष्ट कर दिया।

स्वतंत्रता के बाद कारोबारी माहौल में राजनीतिक परिदृश्य बदल गया; समाजवादी आदर्शों के मार्गदर्शन में राजनीतिक नेतृत्व ने योजनाबद्ध लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया। "राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा की गई थी। यह समिति लघु एवं कुटीर उद्योगों की औपचारिक पहचान प्रदान करने के लिए समान रूप से उत्तरदायी थी। 1947 में औद्योगिक सम्मेलन कुटीर उद्योगों की औपचारिक पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसी वर्ष औद्योगिक नीति संकल्प (आईपीआर 1948) जिसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक क्षेत्र को नियंत्रित और विनियमित करना था। भारत सरकार ने 1955 में भारत में लघु उद्योगों की भी स्थापना की, इस परिभाषा में इतिहास के दौरान कई बदलाव हुए हैं। 1977 में छोटे उद्योगों के लिए एक नया शब्द बनाया गया जिसे Tiny इंडस्ट्रीज नाम दिया गया।

आज के लघु उद्योग की उत्पत्ति उस समय के ग्रामीण व्यापार केंद्र की जरूरतों से हुई है, यह विकास और मान्यता का एक महान चक्र भी है। सरकार ने लगातार विभिन्न नियमों और विनियमों के माध्यम से इन इकाइयों के व्यवस्थित विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने अक्टूबर 1999 में एसएसआई (लघु उद्योग) और कृषि या ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तलाशना था। सितंबर 2001 में मंत्रालय को लघु उद्योग और कृषि या ग्रामीण उद्योग में भी विभाजित किया गया। परिवर्तन के कारण 2 अक्टूबर 2006 को लघु उद्योग और कृषि या ग्रामीण उद्योग के पूर्व मंत्रालय को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में समेकित किया गया। 1961 में भारत सरकार के नियम (व्यवसाय का आवंटन)। लघु उद्योग अधिनियम 2006, सरकार भारत के पारंपरिक उद्योगों जैसे कॉपर, खादी और रेशम के साथ–साथ छोटे पैमाने की सेवाओं और उद्यमों को पूर्ण समर्थन और विविधता प्रदान कर रही है। ये लघु उद्योग एक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हैं जो नई नौकरियों के अवसर पैदा करते हैं और सामुदायिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले 90 प्रतिशत से अधिक उद्यम अधिक नौकरियां पैदा करने और अन्य देशों के लिए निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हैं। वैश्वीकरण के कारण लघु उद्योग के लिए वैश्विक विपणन में नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र

में हर व्यवसाय प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यावसायिक प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल लागत कुशल बनाता है बल्कि समय और ऊर्जा दक्षता भी बनाता है, जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइटों या डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से उत्पाद को आसानी से बेचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एप्लिकेशन, उत्पाद योजना प्रक्रिया, उत्पादन के लिए उपकरणों का उपयोग पैकेजिंग, प्रौद्योगिकी–आधारित ब्रांडिंग वैश्विक बाजार में लघु उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का कदम है।

झारखंड की संक्षिप्त जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल

चित्र 1: जिले को दर्शाने वाला झारखंड का मानचित्र

(स्रोत: wwwmapsofinida.com)

झारखंड जंगल की भूमि है, जो पूर्वी भारत में स्थित है, जिसे 15, 2000 को बिहार राज्य के दक्षिणी भाग से अलग किया गया था। यह राज्य उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। राज्य की राजधानी रांची है। यह राज्य खनिजों से समृद्ध है और भारत के खनिज संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों का योगदान 40 प्रतिशत से अधिक है। नीचे दी गई तालिका 3 कुछ प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतक और भारत के साथ उनकी तुलना देती है:

तालिका 3

क्र.सं.	संकेतक	लाख / स्के. में. किमी	
		झारखंड	भारत
1	भौगोलिक क्षेत्र	3.42	32.87
2	जनसंख्या	32,988,134	1,210,854,977

3	एसटी जनसंख्या	26.30	8.4
4	पुरुष	16,930,315	623,724,248
5	महिला	16,057,819	586,469,174
6	एसटी पुरुष	4,315,407	52,547,215
7	एसटी महिला	4,329,635	51,998,501
8	लिंग अनुपात (महिला/1000 पुरुष	949	940
9	घनत्व का जनसंख्या/वर्ग कि.मी.	414	382
10	साक्षरता दर	66.41	74.04
11	पुरुष साक्षरता दर	76.84	82.14
12	महिला साक्षरता दर	55.42	65.46
13	जन्म दर	23.70	22.50
14	मृत्यु – संख्या	6.10	7.3
15	दशकीय विकास दर (प्रतिशत)	22.42	17.64

(स्रोतः जनगणना 2011)

झारखंड की आदिवासी महिलाएं

जनजाति की आजीविका व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, शिकार, वन सामग्री और श्रम के संयोजन पर निर्भर है। अधिकांश जनजातीय भूमि की बहुत छोटी जोत और बहुत कम उत्पादकता के कारण, जनजाति व्यवसाय के विविध पैटर्न को बनाए रखते हुए अपना जीवन यापन करती है। कोई भी गतिविधि पूरी तरह से उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान नहीं करती है। महिलाएं कृषि और कला एवं शिल्प में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। जनजाति की आजीविका के लिए सहायक कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:

- **बांस ब्रिस–ए–ब्रैकः** बांस जनजाति के लिए प्रकृति का आशीर्वाद है। यह उनके घरेलू उपयोग के साथ–साथ व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भी उपयोगी है। जनजातीय बांस कला न केवल झारखंड में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वे बांस से टोकरी बनाते हैं जिसका उपयोग मोटे तौर पर गैर–आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है। कंघी, खाट, ट्रे, फूलदान भी आदिवासी बनाते हैं। आमतौर पर पुरुष और महिलाएं दोनों बांस कला में संलग्न होते हैं। वे स्व–निर्मित बांस की वस्तुओं को बेचने के लिए आस–पास के बाजारों में जाते हैं। दूसरी ओर, वे बांस से अपनी छत, दरवाजा, कालीन बनाते हैं। वे बांस को फाड़ते हैं और बांसुरी बनाते हैं। बांसुरी बजाना आदिवासी समाज के लिए मनोरंजन का एक हिस्सा है। बच्चे मवेशी चराते समय बांसुरी बजाते हैं।
- **रस्सी बनानाः** रस्सी बनाना जनजाति का एक अन्य व्यावसायिक कार्य है। आमतौर पर पुरुष ही इस काम में लगे रहते हैं. रस्सियाँ पेड़ों की छाल और सबई घास से बनाई जाती हैं। इसका उपयोग मवेशियों को बांधने के लिए किया जाता है।
- **पत्थर कलाः** जनजातियाँ घरेलू बर्तनों का उपयोग करती हैं और घर की सजावट के लिए मूर्तियाँ भी बनाती हैं। वे इसे नजदीकी बाजार में बेचते हैं, गैर–आदिवासी समाज में पत्थर के बर्तन और सजावट की वस्तुओं की सबसे अधिक मांग है।
- **मछली पकड़नाः** मछली झारखंड का बहुत खास भोजन है. मछली पकड़ने का उपयोग आदिवासी न केवल खाना पकाने के लिए करते हैं बल्कि इससे आदिवासियों को व्यावसायिक लाभ भी मिलता है। वे मछली

पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाली छड़ी और कीड़ा जैसी प्राचीन तकनीक का उपयोग करते हैं। वे मछली पकड़ने वाली छड़ी स्वयं बनाते हैं।

- **शिकारः** जनजातियाँ शिकार के लिए भाले का प्रयोग करती हैं। वे जानवरों को मारने के लिए इसे दूर से ही जोर से फेंकते हैं। जनजातियाँ बहुत सक्रिय जालसाज़ होती हैं। आदिवासियों के लिए शिकार भी आजीविका का आसान साधन है।
- **खेतीः** खेती मुख्य रूप से धान और सब्जी की खेती के साथ एकल फसल है, लेकिन कुछ समय के लिए दोहरी फसल और तीसरी फसल भी आदिवासी समाज द्वारा उगाई जा सकती है। धान पर निर्भरता अधिक है; ऐसी सब्जियाँ जिनकी खेती लगभग साल भर की जाती है और कुल खाद्य सुरक्षा पाँच से सात महीने तक होती है। अधिकांश समुदाय अधिक बाज़ार अभिविन्यास के लिए वर्ष भर पहुंच की अनुमति देते हैं।
- **पशुपालनः** जनजातियाँ अपने मवेशियों से प्यार करती हैं। पशुपालन उनके जीवन का एक हिस्सा है। वे आमतौर पर बकरी और भेड़ पालते हैं। पशुपालन मांस, दूध, खाल, ऊन और गोबर प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। पशुपालन में जनजातियों को अधिक लाभ मिलता है।
- **हथियारः** जनजातियाँ लोहे से हथियार बनाती हैं, जैसे गैफ़, तीर, कुल्हाड़ी. सभी लोहे के हथियारों का उपयोग जनजातियाँ अपनी सुरक्षा और शिकार के लिए करती हैं। दूसरी ओर, कुछ लोहे की वस्तुओं का उपयोग खेती और खाना पकाने के काम में किया जाता है जैसे बाल्टी पैन, स्टोव आदि। आदिवासी लोहे की वस्तुओं को गैर–आदिवासी समाज द्वारा पसंद किया जाता है इसलिए जनजातियाँ अपनी वस्तुओं को बेचती भी हैं।
- **शहद एकत्र करनाः** शहद एकत्र करना जनजातियों के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है। इस काम में आम तौर पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही लगे रहते हैं. वे प्राकृतिक प्रक्रिया से शहद इकट्ठा करते हैं इसलिए वे अपने शहद को बिना परिष्कृत किए संग्रहित करते हैं। महिलाएं शहद बेचने के लिए बाजार जाती हैं। वे इसका उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं।

झारखंड में लघु उद्योग

एमएसएमई–विकास संस्थान, रांची अपने धनबाद शाखा संस्थान के साथ झारखंड राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और प्रचार आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। झारखंड राज्य तत्कालीन बिहार से अलग होकर बना था। यह 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से रांची राज्य की राजधानी है।

झारखंड औद्योगिक नीति 2001 तैयार किया गया है। अभी तक कोई बदलाव या परिवर्तन पेश नहीं किया गया है। औद्योगिक रुग्णता पर विचार करने के लिए शीर्ष समिति का भी गठन किया गया है। बीमार इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने और औद्योगिक इकाइयों को और अधिक बीमार होने से बचाने के लिए झारखंड पुनर्वास योजना, 2003 भी शुरू की गई है। विभाग द्वारा मध्यम एवं बड़े उद्योगों का भी उचित ध्यान रखा जा रहा है। उद्योग विभाग, सरकार। झारखण्ड के. औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 'सिंगल विंडो योजना' लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां संपूर्ण एक ही छत के नीचे औद्योगिक उद्यम शुरू करने की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार. अपने JIP 2001 में 'उद्योग बंधु' की अवधारणा की परिकल्पना की गई है, जो विभिन्न सरकारों का समन्वयक होगा। विभागों को श्सिंगल विंडो सिस्टम [5]' के सुचारू कामकाज की सुविधा प्रदान करना। मौजूदा और नई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों में बदलाव किए जा रहे हैं। अगर ऐसे प्रयास जारी रहे तो कोई कारण नहीं होगा कि झारखंड देश के अन्य औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों के बराबर नहीं खड़ा होगा।

मार्च 2007 तक, झारखंड में एसएसआई की संख्या 1,63,220 थी, जिनमें से 28468 पंजीकृत इकाइयाँ थीं और शेष 1,34,752 गैर–पंजीकृत इकाइयाँ थीं। यह 2005–06 के परिदृश्य से एक सुधार है लगभग 25,418 पंजीकृत

इकाइयों ने 90,561 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया और 1,30,019 गैर–पंजीकृत इकाइयों ने 2,36,926 व्यक्तियों को रोजगार दिया। 2004–05 की अवधि से तुलना के लिए इस प्रकार कुल मिलाकर 2005–06 में 1,55,437 लघु उद्योग इकाइयों ने 3,27,487 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया।

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लिए लघु उद्योग

लघु उद्योग सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर बढ़ाते हैं, बल्कि गरीबी उन्मूलन, भूख समाप्ति, लैंगिक समानता और समावेशी आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को भी मजबूती देते हैं। लघु उद्योगों के माध्यम से महिलाओं और हाशिए के समुदायों को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनती हैं। इसके अलावा, ये उद्योग स्थानीय संसाधनों का सतत उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, झारखंड में 'पलाश योजना' जैसी पहलों ने आदिवासी महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण, विपणन और उत्पादन के अवसर देकर न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उन्हें समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाने का भी अवसर दिया है। इस प्रकार, लघु उद्योग सतत, समावेशी और न्यायसंगत विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

एमएसएमई की सफलता सामाजिक प्रेरणा, अत्यधिक नवीन प्रयासों से आती है जो महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य बनाने में सक्षम हैं एसडीजी का उद्देश्य समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों और उन सभी के लिए स्वीकार्य कार्य को प्रोत्साहित करना है जहां एमएसएमई इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भाग लेते हैं। एमएसएमई गरीबी उन्मूलन और एसडीजी को साकार करने के लिए एक स्थायी कारोबारी माहौल बनाने का समर्थन करते हैं।

लघु उद्योग के लिए एसडीएम (रणनीतिक निर्णय लेने) प्रक्रियाओं की भूमिका

सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एमएसएमई) हालिया बाजार रुझान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रॉबिन्सन एंड पीयर्स, 1983; छोटी कंपनियों की सफलता काफी हद तक रणनीतिक निर्णय लेने की प्रथाओं पर निर्भर है। ब्रदरर्स एट अल., 1998 छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय मालिकों द्वारा लिए गए रणनीतिक निर्णय उद्यमिता का केंद्र बनते हैं और इसलिए उन्हें आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जा सकता है। फिर भी, छोटी कंपनियों की देखरेख करने वालों की निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में बहुत कम जानकारी है। पिछला शोध अधिकतर 'प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता' पर केंद्रित था। (बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निर्णयों के बारे में)। आइज़ेनहार्ट और ज़बरैकी, 1992 ये प्रक्रियाएँ अक्सर जटिल होती हैं, इसमें कई कलाकार शामिल होते हैं और अक्सर राजनीति का परिणाम होते हैं। पापदाकिस एट अल., 1998, (ब्रुथर्स एट अल., 1998; गिलमोर एंड कार्सन, 2000) कि छोटे व्यवसायों में उद्यमियों की निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ अलग–अलग हैं, जिसका अर्थ है कि रणनीतिक निर्णय लेने के कई मौजूदा मॉडल उपयुक्त नहीं हैं छोटी कंपनियों में निर्णय लेने की व्याख्या करना। बुसेनिट्ज़ और बार्नी (1997) का दावा है कि बड़े संगठनों के प्रबंधकों की तुलना रणनीतिक प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को पहले एमएसएमई द्वारा लंबी अवधि के लिए कम आंका गया था। हालांकि छोटे पैमाने पर प्रबंधकों का मानना था कि बाजार अनुसंधान अनुभव, संस्थान और संचालन क्षमता उनके प्रबंधन कार्य के प्रमुख सफलता कारक हैं। प्रबंधन अभ्यास में हाल ही में राय बदल दी गई है। रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया ढांचे में एक नया परिप्रेक्ष्य, लेकिन नए दृष्टिकोण के रूप में फर्मों, पर्यावरण, संस्थानों और स्वदेशी विशेषताओं के नए दृष्टिकोण भी सुझाता है जो एमएसएमई पैमाने के संबंध में रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। अनुसंधान, डिजाइन, कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण – झारखंड राज्य के 258 उद्यमों का परीक्षण नमूना जिसमें से 121 सूक्ष्म उद्यम, 51 लघु उद्यम और 86 मध्यम आकार के उद्यम हैं। आवश्यक रणनीतिक फॉर्मूलेशन के विकास के लिए प्रक्रियाओं की जागरूकता की कमी के कारण, इस नमूने के भीतर कंपनी का आकार वर्गीकरण एमएसएमई संरचना के अनुरूप है, जैसे; इसका उद्देश्य स्पष्ट करना है अर्थात; भविष्य में व्यवसाय के लिए मिशन और विज़न, जानकारी इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के माध्यम से एक सही

रूपरेखा चुन सकते हैं, रणनीतियों को तैयार करने के लिए प्राथमिकताओं की पहचान कर सकते हैं, कार्यान्वयन के माध्यम से पहल कर सकते हैं और अंत में मूल्यांकन और नियंत्रण के लिए योजना बना सकते हैं। इसलिए 60 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई के पास ऐसी रणनीति निर्माण योजना नहीं है, इसी तरह रणनीति स्थिति विश्लेषण के तरीकों का उपयोग करके रणनीति के विकास के संबंध में परिणाम प्राप्त किए गए थे।इस प्रकार, खोज चिंताजनक है और इसका प्रतिकूल प्रभाव मुख्य रूप से आर्थिक मंदी या मंदी की अवधि में होने की उम्मीद की जा सकती है, भविष्य के लिए तैयार नहीं, बाजार में केवल अल्पकालिक लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए।

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लिए आदिवासी महिलाओं की भूमिका

आदिवासी महिलाओं की अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए, एसएसआई नियोजित रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। कृषि आधारित गतिविधियों में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी दर आंकड़ों से कहीं अधिक है। इसके पीछे कारण यह है कि महिलाओं द्वारा की जाने वाली अधिकांश खेती और घरेलू गतिविधियों को दैनिक कार्यों के रूप में माना जाता है। आज के युग में, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के साथ, एसएसआई आदिवासी महिलाओं के बीच समस्या का उचित समाधान प्रतीत होता है। यह कई लोगों के लिए रोजगार सृजन में मदद करता है। यह विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद है क्योंकि इससे उन्हें अपने घर के साथ–साथ पशुधन संबंधी गतिविधियों को भी एक साथ करने में मदद मिलती है। उनके पास एसएसआई उद्यम शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन होने का विशेषाधिकार है। उदाहरण के लिए, उनके पास खेत और पशुधन आधारित कच्चे माल और अन्य संसाधनों तक आसान पहुंच है इसलिए, आदिवासी महिलाएं उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों आधारित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से कर सकती हैं। एसएसआई विकास आदिवासी महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने और परिवार और समाज में निर्णय लेने की स्थिति को बढ़ाने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वे सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एसएसआई इन चुनौतियों का समाधान है। एसएसआई न केवल वृद्धि में मदद करते हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता, रोजगार सृजन के साथ–साथ आदिवासी महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमताओं का विकास भी। एसएसआई द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप सामाजिक–आर्थिक अवसर, संपत्ति अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक समानता, पारिवारिक विकास, सामुदायिक विकास और अंततः राष्ट्र के विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। एसएसआई गतिविधियों में उनकी प्रभावी भागीदारी से आदिवासी महिलाओं की उपलब्धि बहुत बड़ी हो सकती है। आदिवासी महिलाओं के पास एसएसआई स्थापित करने और चलाने के लिए बुनियादी स्वदेशी ज्ञान, कौशल, क्षमता और संसाधन हैं। एसएसआई नेटवर्क आदिवासी महिलाओं को उत्पादन, प्रसंस्करण, खरीद, प्रबंधन और विपणन में अपेक्षित तकनीकी ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। यह कदम निश्चित रूप से आदिवासी महिलाओं के लिए एसएसआई में शामिल होने के लिए एक प्रेरक कारक बन जाएगा जिससे परिवार की आय और राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि होगी।

झारखंड में आदिवासी महिलाओं के लिए लघु उद्योगों का योगदान

- **आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरताः** लघु उद्योगों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को आय का स्थायी स्रोत मिलता है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं। इससे उनके परिवार की आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर में सुधार आता है।
- **रोजगार सजनः** लघु उद्योगों ने न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि उनके समुदाय के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी कम हुई है।
- **आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति में सुधारः** लघु उद्योगों में भागीदारी से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। वे अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

- **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** महिलाओं द्वारा संचालित लघु उद्योग स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे स्थानीय बाजार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
- **प्रेरणा और नेतत्व:** लघु उद्योगों में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं, जिससे उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है सरकारी योजनाओं और सहायता का लाभ झारखंड सरकार की श्पलाश योजनाश, 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)' जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण, विपणन और तकनीकी सहायता मिल रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला पा रही हैं।
- **प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग:** महिलाएं वनोपज संग्रहण, लाख की खेती, कृषि प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सतत और लाभकारी उपयोग हो रहा है।

जिलेवार लघु उद्योगों की स्थिति और सतत् विकास

झारखंड में लघु उद्योगों (खासकर तसर रेशम, लाख उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग आदि) ने आदिवासी महिलाओं के लिए सतत् विकास और सशक्तिकरण का आधार तैयार किया है। नीचे जिला–वार मुख्य बिंदु और उपलब्ध आँकड़ों का सारांश प्रस्तुत है:

तालिका 4

जिला	लघु उद्योगों के प्रमुख क्षेत्र	महिला सहभागिता/भूमिका	सतत विकास में योगदान
रामगढ़	सीमेंट क्लस्टर, रेडीमेड गारमेंट, फर्नीचर, फूड प्रोसेसिंग	महिला समूहों द्वारा रेडीमेड गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प	स्थानीय संसाधनों का उपयोग, रोजगार सृजन, क्लस्टर में 1000+ रोजगार, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण
कोडरमा	मसाले, फूड प्रोसेसिंग, बुनाई, हस्तशिल्प	महिला स्वयं सहायता समूह, वनोपज संग्रहण, फूड प्रोसेसिंग	महिला उद्यमिता, ग्रामीण आय में वृद्धि, सतत आजीविका
रांची	कृषि आधारित, फूड प्रोसेसिंग, बुनाई, डेयरी	महिला समूहों द्वारा कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, डेयरी	ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि, स्थानीय उत्पादों का विपणन
धनबाद/बोकारो	फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प	महिला समूहों द्वारा कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग	महिला सशक्तिकरण, स्थानीय रोजगार, पारंपरिक कला का संरक्षण

हजारीबाग	डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई	महिला समूहों द्वारा डेयरी और सिलाई कार्य	आय सृजन, पोषण स्तर में सुधार, सतत विकास

- **लाख उत्पादनः** झारखंड के 12–14 जिलों (खूंटी, गुमला, सिमडेगा, आदि) में लाख उत्पादन में 8–10 लाख ग्रामीण, जिनमें अधिकांश महिलाएँ हैं, सक्रिय हैं। यह उत्पादन सतत् आजीविका और निर्यात दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **तसर रेशमः** झारखंड देश में तसर रेशम उत्पादन में अग्रणी है। रांची, गिरिडीह, दुमका आदि जिलों में महिला समूहों की भागीदारी से उत्पादन और विपणन में वृद्धि हुई है।
- **महिला उद्यमिताः** स्वयं सहायता समूह (SHG) और NGO के सहयोग से महिलाएँ नेतृत्व, विपणन, उत्पादन एवं वित्तीय प्रबंधन में आगे आई स
- **सतत् विकासः** इन उद्योगों के माध्यम से महिलाओं को आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सम्मान मिला है, जिससे सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) जैसे गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

सरकारी पहल और योजनाएं

केंद्र सरकार ने भी एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को मजबूत और लचीला बनाने के प्रयास में कई कदम उठाए हैं। एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम 2018 के तहत, 12 प्रमुख पहलें शुरू की गईं जो देश भर में एमएसएमई के विकास, विस्तार और सुविधा को बढ़ावा देंगी। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है 59 मिनट में ऋण पोर्टल, जो केवल 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रदान करता है। यह पहल एमएसएमई (MSME) को आसानी से और जल्दी वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे उनके विकास और विस्तार में सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री करम योगी मानधन योजना के तहत, सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई (MSME) जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से कम है। यह योजना एमएसएमई (MSME) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है।

झारखंड सरकार ने एमएसएमई (MSME) क्षेत्र और विशेष रूप से महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल थी वर्ष 2017 को 'महिला उद्यमी वर्ष' घोषित करना, जिसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना था। यह पहल महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने और उन्हें आवश्यक समर्थन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी।

- **बजट और योजनाएँः** MSME और लघु उद्योगों के लिए 2025–26 में 486 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिसमें महिला समूहों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
- **प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायताः** जिला स्तर पर प्रशिक्षण, विपणन सहायता और ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे महिलाएँ अपने व्यवसाय को सतत् रूप से चला पा रही हैं।

सरकारी योजनाएं

राज्य की एमएसएमई (MSME) प्रमोशन पॉलिसी 2023 में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के तहतः

- **वित्तीय प्रोत्साहनः** एसटी/एससी महिला उद्यमियों को पूंजीगत लागत पर 30ः अनुदान और 5ः ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **क्लस्टर विकासः** परंपरागत उद्योगों जैसे रेशम, हस्तशिल्प, और खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां आदिवासी महिलाओं को सामूहिक उत्पादन, तकनीकी प्रशिक्षण, और बाजार संपर्क सुविधाएं दी जाती हैं।

- **डिजिटल साक्षरताः** महिलाओं को ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उत्पाद बेचने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

स्टैंड–अप झारखंडः सामूहिक उद्यमिता को समर्थन

इस पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बैंक लिंकेज और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 तक, 15,000 से अधिक SHGs को 200 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जिसमें 80ः लाभार्थी आदिवासी महिलाएं थीं। ये समूह मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन, टसर रेशम उत्पादन, और जैविक खेती से जुड़े हैं।

राज्य महिला आयोग की विशेष पहल

झारखंड राज्य महिला आयोग ने 'सखी सहयोग' कार्यक्रम शुरू किया है, जो महिलाओं को कानूनी सलाह, उद्यमिता प्रशिक्षण, और डिजिटल साक्षरता प्रदान करता है। इसके तहत 2024 में 200 ग्राम पंचायतों में 'डिजिटल सखी' केंद्र स्थापित किए गए, जहां 5,000 महिलाओं को ऑनलाइन व्यवसाय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया।

झारखंड औद्योगिक पार्क में महिला–केंद्रित ज़ोन

राज्य सरकार ने रांची, धनबाद, और जमशेदपुर में विशेष महिला औद्योगिक पार्क विकसित किए हैं। इन पार्कों में:

- **सामुदायिक कार्यशालाएंः** सामूहिक उत्पादन के लिए उन्नत मशीनरी उपलब्ध कराई गई है।
- **क्रेच सुविधाः** कामकाजी माताओं के लिए बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- **ग्रीन एनर्जी पहलः** सौर ऊर्जा से चलने वाले इन पार्कों में महिलाओं को निर्माण इकाइयां किराए पर दी जाती हैं।

सिलाई मशीन वितरण अभियान

2024 में, सरकार ने 10,000 आदिवासी महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित कीं। इसके साथ ही, 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कपड़ा डिजाइनिंग और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल था। इस पहल से 3,000 से अधिक महिलाएं स्थानीय स्कूलों और होटलों को वर्दी आपूर्ति करने वाली इकाइयां स्थापित कर सकी हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का सतत विकास अत्यधिक गतिशील आर्थिक विकास के रूप में उभरा है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देता है।

जनजातीय महिलाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से अपने उत्पाद के विपणन में (पारिवारिक जिम्मेदारियों सहित), जिन्हें पुरुषों के समान अवसरों तक पहुंच प्रदान करने के लिए दूर करना पड़ता है। लघु उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित और बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रामीण महिलाएं छोटे पैमाने की गतिविधियों में अपनी प्रभावी और सक्षम भागीदारी से चमत्कार कर सकती हैं। ग्रामीण महिलाओं के पास लघु उद्योग स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए बुनियादी स्वदेशी ज्ञान, कौशल, क्षमता और संसाधन हैं। अब, ऋण तक पहुंच, विभिन्न फंडिंग एजेंसियों, प्रमाणन के संबंध में प्रक्रियाओं, सरकारी कल्याण कार्यक्रमों पर जागरूकता, प्रेरणा, तकनीकी कौशल और परिवार सरकार और अन्य संगठन से समर्थन के बारे में ज्ञान की आवश्यकता है। इसके अलावा, ग्रामीण महिला एसएसआई नेटवर्क के गठन और मजबूती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैंकिंग संस्थानों को औपचारिक ऋण सुविधा की पेशकश करनी चाहिए, ग्रामीण महिलाओं के बीच महिला विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को सरकार द्वारा पंजीकृत क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यह सहायता महिलाओं को स्वयं वित्तपोषण के माध्यम से अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी, और इस प्रकार मदद करेगी।

आदिवासी महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए अपने उत्पादों के विपणन में। पुरुषों की तुलना में उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। लघु उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके कौशल, स्वदेशी ज्ञान और क्षमता उन्हें ऐसे उद्यमों को स्थापित करने और कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उन्हें ऋण तक बेहतर पहुँच, फंडिंग एजेंसियों से वित्तीय सहायता, प्रमाणन प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन और सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। लघु उद्योगों (एसएसआई) में ग्रामीण महिलाओं के नेटवर्क को मजबूत करना उनके प्रभाव और बाजार तक पहुँच को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं को पंजीकृत क्षेत्र में एकीकृत करके, उनकी उद्यमशीलता फल–फूल सकती है, जिससे अंततः राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

संदर्भ सूची

1. बर्जर, पी.; और हेइडमैन, एफ. (सं.). (2013) भारत का आधुनिक मानवविज्ञानः नृवंशविज्ञान, विषय और सिद्धांत, रूटलेज, यूएसए।
2. बर्मन, बी.आर. (2003) विश्व व्यवस्था परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी और आदिवासी लोग, *जनजातियों और आदिवासियों का अध्ययन,* 1(1), 7–27।
3. बर्मन, बीआर (2003) विश्व व्यवस्था परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी और जनजातीय लोग, *जनजातियों और जनजातियों का अध्ययन,* (1), 7–27।
4. देवेश्वर, आरती (2014) वैश्वीकरणः भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रभाव, *व्यवसाय और प्रबंधन समीक्षा,* खंड 5 संख्या 3, पृ. 126–145।
5. गुप्ता, सी.बी.; और खनका, एस.एस. (2010) *उद्यमिता और लघु व्यवसाय प्रबंधन,* सुल्तान चंद एंड संस, नई दिल्ली, 2–4।
6. ज़याअफ्रोज़, आरएस (2014) भारत के विकास के लिए वर्तमान परिदृश्य में एमएसएमई का विकास और प्रदर्शन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज (आईजेआईएमएस),* खंड 1, संख्या 5, 136–143।
7. खुरुद, बीएस (2015) उदारीकरण के बाद के युग में एमएसएमई क्षेत्र का निर्यात प्रदर्शन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिव्यू,* खंड 3 अंक 1, पृ. 95–123।
8. मलिक, के.; और साह (2005) कृषि वन आधारित कृषि प्रणाली के माध्यम से झारखंड में आदिवासी समुदायों का सामाजिक आर्थिक उत्थान, *इंडियन जर्नल आफप एग्रोफॉरेस्टर,* 3 (1), 125–132, नई दिल्ली।
9. मलिक, के.; और साह (2005) झारखंड में कृषि वन आधारित कृषि प्रणाली के माध्यम से आदिवासी समुदायों का सामाजिक–आर्थिक उत्थान, *इंडियन जर्नल आफप एग्रोफॉरेस्टर,* 3 (1), 125–132, नई दिल्ली।
10. शर्मा, एस.पी.; और मित्तल, ए.सी. (1998) *भारत में आदिवासी महिलाएं,* खंड 2, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. शांति, वी. और राजा लक्ष्मी (2002) *महिलाएं और पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और पारिस्थितिकी विकास,* (संपादक), रेड्डी, ए.आर. सीरियल प्रकाशन, नई दिल्ली।
12. सुरेंदरगेड (2018) आर्थिक विकास में एमएसएमई की भूमिका–भारत के परिप्रेक्ष्य पर एक अध्ययन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स,* वॉल्यूम 118 (18), पृ. 118–126।
13. झारखंड एमएसएमई रिपोर्ट 2020–21।
14. झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 20–21।

****